# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
## संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (अररिया) 02–64/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–17.09.2024 को ऑनलाईन सेवाओं के तहत विभिन्न कार्यो की समीक्षा के क्रम में अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकांटा अंचल का खराब प्रदर्शन पाये जाने के कारण **श्री आलोक कुमार, अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा, अररिया** के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2320(15) दिनांक–19.11.2024 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। बचाव का लिखित अभिकथन अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक–821(15) दिनांक–27.05.2025, पत्रांक–1417(15) दिनांक–07.08.2025, पत्रांक–1466(15) दिनांक–26.11.2025 एवं पत्रांक–655(15) दिनांक–15.05.2026 से श्री कुमार को स्मारित करने के बावजूद भी इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तदोपरान्त प्रेस विज्ञप्ति सं0–930 दिनांक–01.07.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग हेतु राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन दिनांक–29.07.2026 विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आलोक कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, अररिया** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

**आदेशः**– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, अररिया/अपर समाहर्त्ता, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/श्री आलोक कुमार, अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह0/–
**(डॉ0 महेन्द्र पाल)**
**अपर सचिव।**

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (अररिया) 02–64/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/श्री आलोक कुमार, अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

---

स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/आरोप (अररिया) 02–64/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, अररिया को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

---

ज्ञापांक–15/आरोप (अररिया) 02–64/2024–1816 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–07/10/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।